संख्या- 4/2015/76 ई-2/तेरह-2015- 31/2011

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद ।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 27 जनवरी,2015

विषय: जनपद मेरठ के वर्ष 1977-78 की विदेशी मदिरा दुकान खैर नगर के विरूद्ध बकाया धनराशि रू0 1,62,000/- के राजस्व परित्यजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- जी-55/सात-राजस्व परित्यजन/1977 - 78/मेरठ/1,62,000 दिनांक 20 जून, 2013 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- जनपद मेरठ में वित्तीय वर्ष 1977-78 की विदेशी मदिरा दुकान खैरनगर श्री बृजमोहन पुत्र श्री मुलखराज निवासी- 140/141, पत्थरवालान, मेरठ के पक्ष में रू0 2,10,000/- में नीलाम की गई। अनुज्ञापी ने रू0 26,000/- बतौर अग्रिम जमा किया। मासिक किश्त जमा न होने पर अनुज्ञापन को निरस्त करते हुए दिनांक 29-12-1977 को उक्त दुकान पुन: रू0 22,000/- में नीलाम की गई। प्रश्नगत प्रकरण में वर्ष के दौरान रू0 48,000/- जमा हुआ और अन्त में रू0 1,62,000/- का बकाया पड़ा । आबकारी निरीक्षक, सेक्टर प्रथम, मेरठ तथा नायब तहसीलदार सदर, मेरठ द्वारा की गई संयुक्त जांच से विदित हुआ कि दिये गये पते पर एक अन्य परिवार रहता है। बाकीदार को भेजा गया पत्र पोस्ट आफिस द्वारा इस रिपोर्ट के साथ वापस आ गया कि श्री बृजमोहन नाम का कोई व्यक्ति उक्त पते पर नहीं रहता है। जांच रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि बाकीदार के नाम कोई चल अचल सम्पत्ति नहीं है। जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा प्रपत्र जी-31 पर यह उल्लेख करते हुए कि उपरोक्त जांचों में बाकीदार बृजमोहन का दिये गये पते पर न मिलना और न ही जनपद मेरठ में उसके नाम कोई चल/अचल सम्पत्ति पाये जाने के दृष्टिगत बकाया धनराशि रू0 1,62,000/- की वसूली सम्भव न होने के कारण प्रश्नगत राजस्व धनराशि के परित्यजन की संस्तुति की गई।

3- प्रश्नगत प्रकरण 36 वर्ष पुराना है जिसमें तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी, श्री के0आर0 निम व आबकारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह दोषी पाये गये। श्री के0 आर0

shasanadesh.upnic.in

निम दिनांक 31 जुलाई, 1985 को एवं श्री राजेन्द्र सिंह दिनांक 31 दिसम्बर, 1991 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सेवा निवृत्त हुए क्रमश: 28 एवं 23 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के कारण इनके विरूद्ध सी0एस0आर0 351 ए के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

4- तद्क्रम में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा अपने पत्र दिनांक 02 मार्च, 2006 एवं 20 जून, 2013 द्वारा जिलाधिकारी, मेरठ के प्रपत्र जी-31 पर प्राप्त संस्तुति सहित जनपद मेरठ के वर्ष 1977-78 की विदेशी मदिरा दुकान खैर नगर के बकायेदार श्री बृजमोहन पुत्र श्री मुलखराज, निवासी 140/141, पत्थरवालान के विरूद्ध बकाया धनराशि रू0 1,62,000/- (रू0 एक लाख बासठ हजार मात्र) के राजस्व परित्यजन का प्रस्ताव किया गया है।

5- अत: उपरोक्त वर्णित स्थिति एवं आबकारी आयुक्त द्वारा किये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त जनपद मेरठ के वर्ष 1977-78 की विदेशी मदिरा दुकान खैर नगर के बकायेदार श्री बृजमोहन पुत्र श्री मुलखराज, निवासी 140/141, पत्थरवालान के विरूद्ध बकाया धनराशि रू0 1,62,000/-( रू0 एक लाख बासठ हजार मात्र) के राजस्व परित्यजन की अनुमति श्री राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा प्रदान करते हैं।

भवदीय,

किशन सिंह अटोरिया

प्रमुख सचिव

संख्या- 4/2015/76 (1) ई-2/तेरह-2015-31/2011 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

2- वित्त (लेखा) अनुभाग- 2, उत्तर प्रदेश शासन।

3- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन।

4- जिलाधिकारी, मेरठ ।

आज्ञा से,

सुनील कुमार पाण्डेय

अनुसचिव।

shasanadesh.up.nic.in